

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं विभागाध्यक्ष,
वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक, 31 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-60-के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यो हेतु अवमुक्त/रिवैलिडेटेड केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के उपयोगार्थ पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 15.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-पी-1071/36-टी-15(प्रो0टा0) दिनांक 25 मार्च, 2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये अनुदान संख्या-60 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-4-1(2)/2016-पी0टी0 दिनांक 22.07.2016 तथा पत्र संख्या-4-1(45)/2016-पी0टी0 दिनांक 18.07.2016 द्वारा अनुमोदित कार्यो हेतु अवमुक्त/पुनर्विध केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-533ए/14-4-2017-503/2008टीसी, दिनांक 31 मार्च, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र)की वित्तीय स्वीकृति निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान सं0-60-आयोजनागत	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110-वन्य जीव परिरक्षण	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0128- प्रोजेक्ट टाइगर	
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1500000
योग-	1500000

(रू0 पन्द्रह लाख मात्र)

- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय।
- वस्तुओं का क्रयस्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा

शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 3 अनुदान/भारत विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहाँ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियाँ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- 4 प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/विरावृत्ति न हो।
- 5 उक्त धनराशि व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या-4-1)2/(2016)22 दिनांक 0टी0पी-.07. तथा पत्र 2016 -संख्या4-1)45/(2016)18 दिनांक 0टी0पी-.07.2016 द्वारा अनुमोदित कार्यों एवं निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6 भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।
- 7 प्रमुख वन संरक्षक/लीय निरीक्षण कर यह समय पर स्थ-समय 0प्र0 जीव प्रतिपालक उ वन्यमुख्य/लीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा सुनिश्चित करेंगे कि स्थ करायी जायेगी/समय पर उपलब्ध-इसकी रिपोर्ट शासन को भी समय
- 8 अनुमोदनसंशोधन की प्रत/्याशा में कोई भी अनाधिकृत कार्य कदापि न किया जाय।
- 9 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रश्नगत मद में नियमानुसार व्यय तथा बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगे।
- 10 इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृति तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नये मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 11 जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- 12 जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जा सकेगा।
- 13 योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
- 14 योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 15 व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
- 16 अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।
- 17 इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

18 स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,सामाजिक एवं कृषि वानिकी , उ०प्र०, लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25मार्च ,2017 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(मो० जुनीद)

संयुक्त सचिव।

संख्या-557(1) /चौदह-4-2015-500(53) /2014 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार द्वितीय उ०प्र० केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र, लखनऊ।
- 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत टाड़गर रिजर्व, पीलीभीत।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 8- वित्त संसाधन अनुभाग। (य सहायताकेन्द्री)
- 9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका

आज्ञा से,

(मो० जुनीद)

संयुक्त सचिव।